संख्याः–पीसीएच–एचए (1) 4/94– 51332
हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग।

प्रेषकः–

निदेशक, पंचायती राज,
हिमाचल प्रदेश।

सेवा में,

जिला पंचायत अधिकारी,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

शिमला–9 दिनांक 6/9/2018

विषयः– न्यायिक मार्गदर्शन बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र सं0एसएमएल–(4)102/84–।।–शटैंया–4879 दिनांक 10.7.2017 के सन्दर्भ में। आपको सूचित किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 100 के अनुसार ग्राम पंचायत, संकल्प के माध्यम से और पूर्व प्रकाशन के पश्चात, सभा क्षेत्र में स्वच्छता, ठोस व द्रव्य अपशिष्ट प्रबन्धन फीस, ऐसी दर पर और ऐसी रीति में, जैसी वह उचित समझे, उद्गृहित करने के लिए सक्षम है। ग्राम पंचायतें यदि वन भुमि पर व्यवसायिक गतिविधियां करती है तो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधान लागु होते हैं परन्तु यह प्रावधान पर्यटकों/ स्थानीय लोगों से ग्राम पंचायत को सभा क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने के लिए फीस लेने से वर्जित नहीं करते।

भवदीय,

निदेशक, पंचायती राज
हिमाचल प्रदेश।

पृ0 संख्याः– पीसीएच–एचए (1) 4/94– 51333 शिमला–9 दिनांक 6/9/2018
प्रतिलिपिः–

1. वनमण्डलाधिकारी, वन मण्डल ठियोग, जिला शिमला को सूचनार्थ।
2. सचिव ग्राम पंचायत बणी (फागू) विकास खण्ड ठियोग, जिला शिमला को सूचनार्थ।

निदेशक, पंचायती राज,
हिमाचल प्रदेश।